

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गवका की चौकी, करौली-322241, फोन नं. 07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/ 495

दिनांक:-19/1/2023

निमित्त,

अधिशायी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्ड करौली, राजस्थान

विषय:-Diversión of 1.179 ha. Of forest land in favour of Public Work Department Karauli for Construction of Road from Silpur Road to Palanpur District Karauli (Rajasthan)

प्रसंग:-कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक 8 बी-राज 023/2022-JPR दिनांक 06.01.2023 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 224 दिनांक 11.01.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय जयपुर के पत्र क्रमांक 8 बी-राज 023/2022-JPR दिनांक 06.01.2023 द्वारा उपरोक्त परियोजना में बिना वृक्षों के पातन की शर्तोंधीन स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट हेतु आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 224 दिनांक 11.01.2023 के बिन्दु संख्या 1 में उक्त प्रकरण में आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु सहवन से राशि 4,57,285 रु0 कैम्पा फण्ड जमा की जाकर रसीद इस कार्यालय को भिजवाने एवं आगामी 10 वर्षों में दरों में परिवर्तन होने पर अधिक देय राशि को जमा कराने की अण्डर टेकिंग भी प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। जिसमें निम्नानुसार संसोधन किया जाता है।

श्रम दर में बढ़ोतरी होने से वर्तमान श्रम दर 259 से CA की राशि 8,68,415 रूपयें होती है। अतः आप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि 8,68,415 रूपये, एन.पी.वी. राशि 11,29,223 रु0 एवं अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि 7,28,206 रु0 कुल राशि 27,25,844 रु0 कैम्पा फण्ड जमा में कराना सुनिश्चित करें, शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

दिनांक:- / /2023

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।

2. उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 4578 दिनांक 18.01.2023 के क्रम में।

उप वन संरक्षक
करौली